

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक- 23.06.16

संख्या-14/प्रो० 107/16 सा०प्र०- 8929 / बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-), के निम्नांकित 06 पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-) में उनके नाम के समक्ष कांडिका-4 में उल्लिखित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	श्री दारोगा यादव	419	12.09.13	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्य पदाधिकारी, जिला परिषद्,, सहरसा।
2	मो० अनामुल हक सिद्दिकी,	447	25.10.13	अपर समाहर्ता, बक्सर। (अपने वेतनमान में)
3	श्री कुमार रामानुज,	464	23.12.13	अपर समाहर्ता ( लोक शिकायत निवारण ) -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिवान।
4	श्री सुरेन्द्र झा	465	23.12.13	जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
5	श्री अरुण कुमार झा	469	21.05.16	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्त।
6	श्री राजीव रंजन सिंह	470	21.05.16	अपर समाहर्ता ( लोक शिकायत निवारण ) -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. उक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद ( कॉलम-5 में उल्लिखित ) को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर समाहर्ता/ समकक्ष स्तर में उत्कृष्टित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. उक्त प्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

( विजय मोहन नागपटनी )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 107/16 सा०प्र०- 8929 / पटना-15, दिनांक- 23.06.16  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से )/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक-22.06.2016 के मद सं०-2 के आलोक में संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,

पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी0डी0 तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*(Handwritten signature)*  
13.06.16

सरकार के अवर सचिव ।